पटना में दिनांक–07 फरवरी, 2015 मंगलवार को अपराह्न 02:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग

(कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय)

1. बिहार राज्य की काराओं में पदस्थापित कक्षपालों को वर्दी भत्ता मद में रूपये 1,400/–(एक हजार चार सौ रूपये मात्र) की वृद्धि करने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

2. मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतू उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन पाँच करोड़ से अधिक राशि की श्रेणी–1 के कुल 19 पथों जिसकी कुल लंबाई–411.89 कि०मी० एवं कुल प्राक्कलित राशि–168.0110232 करोड़ (एक सौ अरसठ करोड़ एक लाख दस हजार दो सौ बत्तीस) रू० की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

3. मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, बाँका–1 अन्तर्गत खेसर तारापुर से जिलानी पथ मरम्मति जिसकी लंबाई–18.40 कि०मी० एवं कुल प्राक्कलित राशि 702.250 लाख रू० (सात सौ दो लाख पच्चीस हजार) की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

3. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

4. श्रीमती इन्दु कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बख्तियारपुर (पटना) को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।

4. स्वीकृत।

अन्यान्य
संसदीय कार्य विभाग

5.	विधान मंडल के आगामी बजट सत्र में विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।	5.	स्वीकृत।
6.	चर्चा के उपरान्त मंत्रिपरिषद् ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा के प्रस्ताव पर उचित समय पर उचित निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।	6.	स्वीकृत।

ह०/–
(एस० के० नेगी)
विकास आयुक्त, बिहार